



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18112024-258718
CG-MH-E-18112024-258718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920]
No. 920]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2024/कार्तिक 27, 1946
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2024/KARTIKA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 18 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/209.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

- I. विनियम 19ख में, उप-विनियम (2) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 16 के उप-विनियम (2)" के बाद और शब्दों "के सिवाय" से पहले, चिह्न, अंक तथा शब्द ", विनियम 20 के उप-विनियम (21)" जोड़े जाएँगे।
- II. विनियम 20 में, उप-विनियम (20) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(21) आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड / ए.आई.एफ.) की स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों के अधिकार, स्कीम में किए जाने वाले प्रत्येक निवेश के मामले में और उस निवेश की वजह से जो कुछ भी दिया जा रहा हो उसके मामले में, उसी अनुपात में होंगे जितना उन्होंने उस स्कीम में निवेश करने का वचन दिया हुआ हो, हालाँकि यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर कुछ और बताया जाए:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने से पहले लाई गई ए.आई.एफ. की स्कीमों में निवेश करने वाले निवेशकों के जो अधिकार स्कीम में उनके द्वारा निवेश के संबंध में दिए गए वचन के अनुपात में न हों और जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा छूट न दी गई हो, उनके बारे में वैसा ही करना होगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(22) ए.आई.एफ. की किसी स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों के अधिकार [उन अधिकारों को छोड़कर, जिनका जिक्र इस विनियम के उप-विनियम (21) में किया गया है] हर लिहाज से एक जैसे होंगे:

परंतु यह कि ए.आई.एफ. की किसी स्कीम के कुछ निवेशकों को कुछ अलग अधिकार उसी प्रकार दिए जा सकेंगे जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए, किंतु इससे स्कीम के दूसरे निवेशकों के हितों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए:

परंतु यह और कि इस विनियम के उप-विनियम (22) का प्रावधान "अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड" (लार्ज वैल्यू फंड) पर लागू नहीं होगा:

परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने से पहले किसी ए.आई.एफ. द्वारा पहले से ही दिए जा चुके किसी अलग अधिकार (डिफरेंशियल राइट) [जो इस विनियम के उप-विनियम (22) के पहले परंतुक के दायरे में न आता हो] के बारे में वैसा ही करना होगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।"

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./689/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

- (ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
- (घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
- (ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
- (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा

- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- (ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा
- (म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- (य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- (कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा
- (खख) 25 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168, द्वारा
- (गग) 18 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/194, द्वारा
- (घघ) 6 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/198, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/209 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,—
 - I. In regulation 19B, in sub-regulation (2), after the words “sub-regulation (2) of regulation 16,” and before the words “and the guidelines and circulars”, the words “sub-regulation (21) of regulation 20” shall be inserted.
 - II. In regulation 20, after sub-regulation 20, the following sub-regulations shall be inserted namely, —

“(21) The investors of a scheme of an Alternative Investment Fund shall have rights, pro-rata to their commitment to the scheme, in each investment of the scheme and in the distribution of proceeds of such investment, except as may be specified by the Board from time to time:

Provided that the rights of the investors of a schemes of Alternative Investment Fund issued prior to the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2024, which are not pro-rata to their commitment to the scheme and not exempted by the Board, shall be dealt with in the manner specified by the Board.

(22) The rights of investors of a scheme of an Alternative Investment Fund, other than that specified in sub-regulation (21) of this regulation, shall be pari-passu in all aspects:

Provided that differential rights may be offered to select investors of a scheme of an Alternative Investment Fund, in the manner as may be specified by the Board, without affecting the interest of other investors of the scheme:

Provided further that the requirement under sub-regulation (22) of this regulation shall not apply to Large Value Fund for Accredited Investors:

Provided further that any differential right already issued by an Alternative Investment Fund prior to the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2024, not falling within the first proviso of sub-regulation (22) of this regulation, shall be dealt with in the manner as specified by the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Extty./689/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, —
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment

- Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
- (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
 - (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
 - (m) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
 - (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
 - (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
 - (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
 - (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
 - (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
 - (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
 - (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
 - (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
 - (w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
 - (x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.
 - (y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - (z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
 - (aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.
 - (bb) 25th April 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.
 - (cc) 18th July, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/194.
 - (dd) 6th August, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/198.